(6)

R.825/I/14

देवीलाल पिता रामचंद्र जाति महाजन
निवासी सुवासरा तह. सुवासरा जिला मन्दसौर

—— आवेदक

विरूद्ध

बालाराम पिता रामचंद्र जाति महाजन
निवासी सुवासरा तह. सुवासरा जिला मन्दसौर

(11)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 825–एक/14 **जिला मंदसौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–5–2014 उज्जैन कैंप	आवेदक की ओर से श्री दिनेश व्यास अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण कमांक 03/अ–6–अ/2013–13 में पारित आदेश दिनांक 24–1–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय में उठाई गई आपत्ति का तहसीलदार के द्वारा आदेश दिनांक 24–1–14 द्वारा निरस्त की गई है लेकिन अपने उक्त आदेश में तहसीलदार ने आवेदक द्वारा आपत्ति में उठाये गये बिन्दु पर उनको अमान्य करने के कारणों का खुलासा नहीं किया है । तहसीलदार का उक्त आदेश दिनांक 24–1–14 बोलते हुये आदेश की परिभाषा में नहीं आता है । अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 24–1–14 निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक की आपत्ति को पुनः सुनकर स्पष्ट बोलता हुआ आदेश पारित करें । प्रशासकीय सदस्य	